



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 460]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 नवम्बर 2020—अग्रहायण 4, शक 1942

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2020

क्र.—एफ—ए—३—४९—२०२०—१—पांच—(६४)।— राज्य सरकार, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०२० (सन् २०२० का क्रमांक १८) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (२क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, २९ जनवरी २०१८ को उस तारीख के रूप में, जिसको उक्त अधिनियम की धारा २ के उपबंध प्रवृत्त हुए माने जावेंगे नियम करती है :

परन्तु, यह कि किसी पंजीयत व्यवसायी द्वारा, इस संशोधन के प्रतिकूल, तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व की तारीख तक कर संग्रहित किया गया हो, तो उक्त राशि का भुगतान, शासकीय कोषालय में किया जावेगा तथा उक्त व्यवसायी को उक्त राशि का प्रतिदाय नहीं किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रत्नाकर झा, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2020

क्र.—एफ—ए—३—४९—२०२०—१—पांच।— भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ—ए—३—४९—२०२०—१—पांच—(६४), दिनांक २५ नवम्बर २०२० का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रत्नाकर झा, उपसचिव,

Bhopal, the 25<sup>th</sup> November 2020

No. F A-3-49-2020-1-V-(64).- In exercise of the powers conferred by sub-section 2(a) of Section 1 of the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2020 (18 of 2020), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, hereby, appoints the 29th day of January, 2018 as the date on which the provision of Section 2 of the said Act, shall be deemed to have come into force:

Provided that where a registered dealer has collected tax, contrary to this amendment, as per prevalent provision prior to the date of publication of this notification, the same shall be deposited in Government Treasury and shall not be refunded to such dealer.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.